वित्त निर्देश–29/2004

*छत्तीसगढ़ शासन*
*वित्त एवं योजना विभाग*
*मंत्रालय*

*कमांक 730/742/वि/नि/चार/2004* *रायपुर दिनांक 7 अगस्त,2004*

*प्रति,*

*शासन के समस्त विभाग,*
*अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर*
*समस्त विभागाध्यक्ष*
*समस्त जिलाध्यक्ष*
*छत्तीसगढ ।*

**विषयः प्रथम पेंशन भुगतान के प्रकिया में संशोधन ।**

--**0**--

'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान की योजना' के बिन्दु कमांक 11.3 में यह व्यवस्था है कि ऐसे मामलों में जहाँ पेंशनर द्वारा पेंशन आवेदन पत्र में ही किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विशिष्ट शाखा से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है, वहाँ कोषालय अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश के दोनों आधे-हिस्से उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सम्बद्ध शाखा को प्रेषित करेगा ।

2. राज्य शासन द्वारा पेंशन भुगतान व्यवस्था की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि उक्त व्यवस्था से प्रथम भुगतान के मामले में पूर्वानुमानित पेंशन या अधिक भुगतान की वसूली का समायोजन, पेंशन भुगतान आदेश में हस्ताक्षर एवं फोटो का सत्यापन, वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की प्राप्ति, उपादान का भुगतान इत्यादि मामले में असुविधा होती है, तथा गलत भुगतान की संभावना रहती है । अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के अन्दर पेंशन का प्रथम भुगतान कोषालयों से ही किया जाय तथा भुगतान के तुरन्त बाद पेंशन प्रकरण को संबंधित बैंक की सम्बद्ध शाखा को प्रेषित किया जाए । अतः 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान की योजना' का बिन्दु कमांक 11.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।

11.3 - नये पेंशन भोगियों के संबंध में महालेखाकार/संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जिला कोषालय अधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश जारी करते समय पी.पी.ओ. पर ही ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की विशिष्ट शाखा या कोषागार/उपकोषागार उल्लेख करेगा जिसमें पेंशन

भोगी ने पेंशन आहरित करने का विकल्प लिया हो । इन मामलों में कोषालय अधिकारी पेंशन का प्रथम भुगतान करने के उपरान्त पेंशन प्रकरण आगामी भुगतान हेतु संबंधित बैंक की सम्बद्ध शाखा को तुरन्त अग्रेषित करेगा ।

3. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से पेंशन भुगतान के मामले में प्रथम अवसर पर पेंशनर के व्यक्तिशः उपस्थिति से छूट की व्यवस्था को समाप्त किया जाए । इन प्रकरणों में पेंशनर के उचित पहचान करने तथा पेंशन भुगतान आदेश के संवितरण भाग पर पेंशन भोगी का नमुना हस्ताक्षर या अंगुठा निशान, यथा प्रसंग जैसा आवश्यक हो, प्राप्त करने हेतु पेंशनर की उपस्थिति आवश्यक होगी । ऐसे मामलों में जहॉं किसी विशिष्ट कारण से पेंशनभोगी की उपस्थिति संभव नहीं हो कोषालय अधिकारी पेंशनर की पहचान एवं हस्ताक्षर या अॅंगुठा निशान प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था करेगा । इस हेतु छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 349(1) के नीचे टीप को विलोपित किया जाता है । नियमों में संशोधन की अधिसूचना संलग्न है ।

संलग्न - अधिसूचना ।

**(सतीश पाण्डेय)**
**उप सचिव**
**वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन**

पृ.क्र. 731/742/वि/नि/चार/2004 रायपुर दिनांक 7 अगस्त,,2004

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचान आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।

12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छग., रायपुर ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC ), को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

**(एस.के. चकवर्ती)**
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**Government of Chhattisgarh**
**Department of Finance and Planning**
**Mantralaya**
**Dau Kalyan Singh Bhavan, raipur**

# NOTIFICATION

**Raipur,Dated:7/8/ 2004**

No. 730/742/4/fu/04 In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, namely :-

## AMENDMENT

**In Rule 349-**

'note' below sub-rule (1) shall be omitted.

**By order and in the name of the**
**Governor of Chhattisgarh**

**(Satish Pandey)**
**Deputy Secretary**
**Government of Chhattisgarh**
**Finance Department**